राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2405/2016/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स कमल आयरन ट्रेडर्स,
केसरगंज, अजमेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 53/वैट/15–16/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 29.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय,वृत प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,प्रतिकरापवंचन, उदयपुर के दल द्वारा दिनांक 01.04.2015 को वाहन संख्या आरजे–06–जीबी–4718 को नेशनल हाइवे 8 उदयपुर के चैक किया। वाहन में परिवहनित माल आयरन एण्ड स्टील वडोदरा, गुजरात अजमेर, राजस्थान के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल के संबंध में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेज एवं घोषणा पत्र वेट 47 पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर जांच अधिकारी ने पाया गया कि प्रस्तुत घोषणा पत्र वेट–47 कालातीत है। जांच अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2) की अवहेलना के कारण अभियोग दर्ज कर, उपायुक्त (प्रशासन) अजमेर के निवेदन पर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लिखित जवाब मय घोषणा पत्र वेट–47 नं. ई47ए010415333127 जो कि विभाग से जारी करवाया गया था, प्रस्तुत किया। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को पश्चातवर्ती सोच मानकर आदेश दिनांक 08.04.2015 के द्वारा परिवहनित माल कीमतन रू0 5,57370/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रुपये 1,67,211/– प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.04.2016 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल दस्तावेजों के साथ परिवहनित हो रहा था, केवल घोषणा पत्र वेट–47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी। अतः जो शास्ति आरोपित की गयी वह विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय न्यायालयों के कई दृष्टान्तों का हवाला दिया जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवधिपार घोषणा पत्र एक तकनीकी अनियमितता है। सशक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गयी तथा बिना किसी जांच के शास्ति का आरोपण कर दिया गया जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। उनका यह भी कथन था कि वक्त चैकिंग वाहन के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन का कोई दोषी मनोभावना नहीं थी। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण में विधिक भूल की गई है। उन्होनें अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विभाग द्वारा धारा–5 म्याद मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों को उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल आयरन एण्ड स्टील वडोदरा, गुजरात अजमेर, राजस्थान के लिये परिवहनित किया जा रहा था। चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेज एवं घोषणा पत्र वेट 47 पेश किये। प्रस्तुत घोषणा पत्र वेट–47 कालातीत था। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लिखित जवाब मय घोषणा पत्र वेट–47 नं. ई4/ए010415333127 जो कि विभाग से जारी करवाया गया था, प्रस्तुत कर दिया था। कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा बनाम मै0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट्स लि0 उदयपुर निर्णय दिनांक 03.09.2014 में अवधिपार घोषणा पत्र की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसे तकनीकी त्रुटि माना है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए, आरोपित शास्ति अपास्त होने योग्य है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य